भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3152

दिनांक 13.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

नागरिकता का परित्याग

3152. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः
श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अत्यधिक कुशल पेशेवरों सहित बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितने भारतीयों ने अपनी नागरिकता का परित्याग किया है तथा वे किन देशों में गए है;

(ग) सरकार इस मुद्दे का समाधान किस प्रकार करने की योजना बना रही है, ताकि आगे प्रतिभा पलायन को रोका जा सके;

(घ) इस प्रकार के परित्याग के कारण अनुमानित आर्थिक तथा कर-राजस्व हानि कितनी है तथा सरकार इन हानियों को कम करने की किस प्रकार योजना बना रही है;

(ड.) दोहरी नागरिकता नीति न होने के क्या कारण हैं तथा विदेशों में रहने तथा काम करने वाले भारतीयों पर इसके क्या प्रभाव होंगे;

(च) आज की तारीख तक जारी किए गए प्रवासी भारतीय नागरिक पंजीकरण कार्डों की संख्या कितनी है और इन कार्डधारकों को इससे क्या-क्या लाभ मिल रहे हैं;और

(छ) विदेशों में भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा अपनी नागरिकता का परित्याग करने वाले भारतीयों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) से (घ) - मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या 1,63,370 (2021 में); 2,25,620 (2022 में) और 2,16,219 (2023 में) थी। संदर्भ के लिए, यह ब्यौरा 1,22,819 (2011 में); 1,20,923 (2012 में); 1,31,405 (2013 में); 1,29,328 (2014 में); 1,31,489 (2015 में); 1,41,603 (2016 में); 1,33,049 (2017 में); 1,34,561 (2018 में); 1,44,017 (2019 में); 85,256 (2020 में) था। जिन देशों की नागरिकता भारतीयों ने प्राप्त की है उनकी सूची अनुबंध में दी गई है। विदेशी नागरिकता के लिए भारतीय नागरिकता त्यागने वाले लोगों का राज्यवार वितरण उपलब्ध नहीं है।

नागरिकता त्यागने/लेने के कारण व्यक्तिगत हैं। सरकार ज्ञान अर्थव्यवस्था के युग में वैश्विक कार्यस्थल की क्षमता को पहचानती है। इसने भारतीय प्रवासियों के साथ अपने संबंध में भी एक परिवर्तनकारी बदलाव किया है। एक सफल, समृद्ध और प्रभावशाली प्रवासी भारतीय समुदाय, भारत के लिए एक परिसंपत्ति है। भारत अपने प्रवासी नेटवर्क का उपयोग करने और ऐसे समृद्ध प्रवासी समुदाय से प्राप्त सॉफ्ट पावर के उत्पादक उपयोग से बहुत लाभ प्राप्त कर सकता है। सरकार के प्रयासों का उद्देश्य प्रवासी क्षमता का पूर्ण उपयोग करना भी है, जिसमें ज्ञान और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान शामिल है।

(ङ) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के प्रावधानों के अनुसार दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है।

(च) और (छ) मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तक 51,00,796 प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ओसीआई कार्डधारकों को मिलने वाले लाभ निम्नानुसार हैं:

(i) किसी भी उद्देश्य से भारत आने के लिए बहु-प्रवेश आजीवन वीज़ा (हालांकि ओसीआई कार्डधारकों को भारत में अनुसंधान कार्य करने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वे संबंधित भारतीय मिशन/केंद्र/एफआरआरओ को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं) ।

(ii) भारत में किसी भी अवधि के प्रवास के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) के पास पंजीकरण से छूट।

(iii) कृषि या बागान संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में सभी सुविधाओं के संबंध में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के साथ समानता।

(iv) एक देश से दूसरे देश में भारतीय बच्चों को गोद लेने के मामले में प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारकों को अनिवासी भारतीयों के समान माना जाता है।

(v) प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारकों को भारत में घरेलू सेक्टरों में हवाई किराए के मामले में निवासी भारतीय नागरिकों के समान माना जाता है।

(vi) प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारकों से भारत में राष्ट्रीय उद्यानों, राष्ट्रीय स्मारकों, वन्यजीव अभयारण्यों, ऐतिहासिक स्थलों और संग्रहालयों को देखने के लिए घरेलू भारतीय आगंतुकों के समान ही प्रवेश शुल्क लिया जाता है।

(vii) वे संगत अधिनियमों में निहित प्रावधानों का अनुसरण करते हुए भारत में निम्नलिखित व्यवसायों में शामिल हो सकते हैं, नामतः :- डॉक्टर, दंत चिकित्सक, नर्स और फार्मासिस्ट; वकील; आर्किटेक्ट; चार्टर्ड अकाउंटेंट;

(viii) वे अखिल भारतीय प्री-मेडिकल टेस्ट या ऐसे अन्य परीक्षणों में शामिल हो सकते हैं, जो उन्हें संगत अधिनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसरण में अनिवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध प्रवेश के लिए पात्र बनाते हैं।

*****

अनुबंध

उन देशों की सूची जिनकी नागरिकता भारतीयों द्वारा प्राप्त की गई

क्र. सं.	देश
1	अल्बानिया
2	अलजीरिया
3	एंडोरा
4	अंगोला
5	एंटीगुआ और बारबुडा
6	अर्जेंटीना
7	आर्मीनिया
8	ऑस्ट्रेलिया
9	ऑस्ट्रिया
10	अजरबैजान
11	बहामा
12	बहरीन
13	बांग्लादेश
14	बेलारूस
15	बेल्जियम
16	बेलीज़
17	बोलीविया
18	बोस्निया और हर्जेगोविना
19	बोत्सवाना
20	ब्राज़ील
21	ब्रुनेई
22	बुल्गारिया
23	कंबोडिया
24	कनाडा
25	चिली
26	चीन
27	कोलंबिया
28	कोमोरोस
29	कोस्टा रिका
30	क्रोएशिया
31	साइप्रस

32	चेक गणराज्य
33	डेनमार्क
34	डोमिनिका
35	डोमिनिकन गणराज्य
36	इक्वाडोर
37	मिस्र
38	एस्तोनिया
39	एस्वातीनी
40	इथियोपिया
41	फिजी
42	फिनलैंड
43	फ्रांस
44	गैबॉन
45	जॉर्जिया
46	जर्मनी
47	घाना
48	ग्रीस
49	ग्रेनेडा
50	ग्वाटेमाला
51	गुयाना
52	हंगरी
53	आइसलैंड
54	इंडोनेशिया
55	ईरान
56	इराक
57	आयरलैंड
58	इजराइल
59	इटली
60	जमैका
61	जापान
62	जॉर्डन
63	कजाखस्तान
64	केन्या
65	कुवैत
66	किर्गिज़स्तान

67	लाओस
68	लातविया
69	लिथुआनिया
70	लक्समबर्ग
71	मेडागास्कर
72	मलावी
73	मलेशिया
74	मालदीव
75	माली
76	माल्टा
77	मॉरीशस
78	मेक्सिको
79	मोलदोवा
80	मंगोलिया
81	मोरक्को
82	मोज़ाम्बिक
83	म्यांमार
84	नामीबिया
85	नेपाल
86	न्यूज़ीलैंड
87	नाइजीरिया
88	उत्तरी मैसेडोनिया
89	नॉर्वे
90	ओमान
91	पाकिस्तान
92	पनामा
93	पापुआ न्यू गिनी
94	परागुआ
95	पेरू
96	फिलिपींस
97	पोलैंड
98	पुर्तगाल
99	कतर
100	कोरियाई गणराज्य
101	रोमानिया

102	रूस
103	सेंट किट्स और नेविस
104	सेंट लूसिया
105	सऊदी अरब
106	सर्बिया
107	सेशल्स
108	सिंगापुर
109	स्लोवाक गणराज्य
110	स्लोवेनिया
111	दक्षिण अफ्रीका
112	स्पेन
113	श्रीलंका
114	सूडान
115	सूरीनाम
116	स्वीडन
117	स्विट्ज़रलैंड
118	तंजानिया
119	थाईलैंड
120	होली सी (वेटिकन सिटी स्टेट)
121	नीदरलैंड
122	टोंगा
123	त्रिनिदाद और टोबैगो
124	तुर्की
125	संयुक्त अरब अमीरात
126	युगांडा
127	यूके
128	यूक्रेन
129	उरुग्वे
130	यूएसए
131	वानुअतु
132	वियतनाम
133	यमन
134	जाम्बिया
135	ज़िम्बाब्वे

*****